



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1318/BR/2/2023-APCR

दिनांक: 11/07/2023

डॉ गौरव मंगला

पुलिस अधीक्षक,

जिला - सारण

पुलिस अधीक्षक कार्यालय

समाहरणालय, छपरा,

सारण - 841301 (बिहार)

Email Id: sp-saran-bih@nic.in

Unique Code : 8Sevhw8q

विषय: प्रार्थी को चिकित्सक द्वारा स्थानीय गुंडों के साथ मिलकर परेशान कर मार पीट करने तथा झूठा मुकदमा दायर करने के सम्बन्ध में श्रीमती आरती देवी, जिला -सारण,बिहार का अभ्यावेदन

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती आरती देवी से दिनांक 13/06/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन)

अनुसंधान अधिकारी

दूरभाष सं.: 24645826

ई-मेल: researchofficer-apcr@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्रीमती आरती देवी

ग्राम- महम्मदपुर,

पी.ओ.- परसा,

पी.एस.- दरियापुर, जिला - सारण,

बिहार - 841219

Mobile No:8240600277